न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2003/2803/चूरू

श्रीमती तारा पत्नि श्री लेखराम पुत्र मालाराम, जाति माली,
निवासी वार्ड नम्बर-20, बिसाऊ तहसील व जिला झुंझुनू।

......अपीलान्ट

बनाम

1- हनुमानाराम पुत्र श्री परसाराम, जाति माली,
निवासी वार्ड नम्बर-20, बिसाऊ तहसील व जिला झुंझुनू।
2- श्रीमती घीसी पुत्री स्व. दुर्गाराम
3- संतोष पुत्री पुत्री स्व. दुर्गाराम
4- संतरा पुत्री स्व. दुर्गाराम
5- माया पुत्री स्व. दुर्गाराम
6- चुनी पुत्री स्व. दुर्गाराम
7- रामप्यारी पत्नि
8- श्रीमती शान्ति पत्नि रूड़ाराम
9- सांवताराम पुत्र परसाराम
10- बनवासी पुत्र स्व. चिमनाराम
11- पवन पुत्र स्व. चिमनाराम
12- ज्याना पुत्री परसाराम
13- श्रीमती लिच्छू पुत्री परसाराम पत्नि मुन्नीलाल
14- श्रीमती लेकू पुत्री स्व. रूड़ाराम
15- श्रीमती सावित्री पुत्री स्व. रूड़ाराम
16- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू।

......रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड-पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :-
श्री माघवराज सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट

दिनांक : 19 अगस्त, 2021

निर्णय

1- उपर्युक्त अपील धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 9-4-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट तारा ने एक वाद अन्तर्गत धारा-88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते खातेदारी घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज विद्वान सहायक कलेक्टर, चूरू के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि खेत खसरा नम्बर-392 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा ग्राम रोही ढाढर में उसके पिता स्व. मालाराम जो कि बिना किसी पुत्र के फौत हुये हैं, के हिस्से की 1/2 भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्त खेत तारा के दादा परसाराम की खातेदारी का रहा है जिनके 5 पुत्र क्रमशः मालाराम, रूढ़ाराम, हनुमानाराम, चिमनाराम व सांवताराम पैदा हुये। स्व. परसाराम के दो पत्नियां थी पहली पत्नि से मालाराम व रूढ़ाराम पैदा हुये थे व पहली पत्नि के फौत होने पर परसाराम ने दूसरी शादी की तो उससे हनुमानाराम, चिमनाराम व सांवताराम पैदा हुये। स्व. परसाराम के दो खेत थे जो दोनों 28-28 बीघा के थे, परसाराम ने अपने पारिवारिक बंटवारे के अनुसार एक खेत 28 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर-392 हैं, जो विवादित खेत है, को अपनी पहली पत्नि के दो पुत्र मालाराम व रूढ़ाराम को दे दिया था तथा दूसरा खेत जो 28 बीघा का ही था, को अपनी दूसरी पत्नि के पुत्र हनुमानाराम, चिमनाराम व सांवताराम को दे दिया था। इन तीनों भाईयों ने अपने इस 28 बीघा खेत को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा बेच दिया। बैयनामा की नकल पत्रावली पर मौजूद है। इसके बावजूद भी हनुमानाराम ने इस खसरा नम्बर-392 में अपना नाम बतौर खातेदार मालाराम को लाऔलाद बताते हुये दर्ज करा लिया। जबकि मालाराम के श्रीमति तारा वादिया पुत्री जिन्दा थी। अतः वादिया को मालाराम के आधे हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। उक्त वाद में हनुमानाराम के अलावा सभी प्रतिवादीगण ने तारा के पक्ष में ही इकबालिया जवाब दावा पेश किया व कई प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, केवल हनुमानाराम ने ही मालाराम को लाऔलाद बताकर व तारा को रोड़ाराम की पुत्री बताते हुये वादिया का वाद निरस्त करने की प्रार्थना की। दावे व जवाबदावे के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने श्रीमती तारा के हक में 1/3 हिस्से की खातेदारी दिनांक 24-2-1996 के निर्णय व डिक्री द्वारा प्रदान कर दी। जिसके विरूद्ध हनमानाराम ने एक अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर कैम्प चूरू के समक्ष पेश की, जिन्होंने उक्त अपील स्वीकार कर केस को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि परसाराम के सभी वारिसान को सुनकर निर्णय पारित किया जावे। उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक 11-2-1999 की पालना में वादिया तारा ने प्रतिवादी संख्या-6 लगायत 13 को पक्षकार बनाया जो दावे में भी उपस्थित हुये। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय ने सभी तनकीयात का निर्णय वादिया/अपीलान्ट तारा के पक्ष में करते हुये वादी का वाद दिनांक 30-3-2002 को वादिया को मालाराम की पुत्री साबित होना मानते हुये डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध हनुमानाराम ने पुनः एक अपील विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी, एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष पेश की, जो अपील संख्या-24/2002 दर्ज की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने गैर कानूनी तौर पर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9-4-2003 द्वारा विपक्षी की अपील स्वीकार कर वादिया का वाद निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज की गई। अपील में 16 व्यक्ति प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार थे। अपीलार्थी के आवेदन पर प्रत्यर्थी संख्या-2 से 15 के नाम दिनांक 6-1-2017 को तर्क कर दिये गये। प्रत्यर्थी संख्या-1 की तामील पर **''लेने से इन्कार''** की रिपोर्ट होने के कारण पर्याप्त तामील मानी गयी। दिनांक 5-8-2021 को उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये। इसलिये अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4- अपीलार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

5- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 9-4-2003 कानून व तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी तौर पर परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई किसी भी तनकी का कोई निर्णय किये बिना विपक्षी की अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का न्यायोचित निर्णय व डिक्री निरस्त करने में अपना निर्णय आदेश-41 नियम-31 सीपीसी के विपरीत पारित किया है। विद्वान अपील अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि अपीलांटा तारा मालाराम की पुत्री है व मालाराम की पत्नि शान्ति देवी ने तारा के जन्म के पश्चात उसके देवर रोड़ाराम से पुर्नविवाह किया। अतः रोड़ाराम के नुत्फे से शांतिदेवी के केवल दो पुत्रियां लेकू व सावित्री पैदा हुयी व इस तथ्य को परसाराम के सभी खानदान के व्यक्तियों ने इन्कार नहीं किया है। विद्वान अपील अधिकारी ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत गवाह जो कि अपीलान्टा के परिवार से नहीं है व उनके परिवार बाबत कोई ज्ञान भी नहीं रखते हैं। उनके बयानों को बिला वजह महत्व देकर वादिया को मालाराम की पुत्री नहीं होना मानने में भारी भूल की है। विद्वान अपील अधिकारी ने अपीलांटा के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों की कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं कर गैर कानूनी तौर पर विपक्षी की अपील को स्वीकार करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 9-4-2003 निरस्त फरमाया जावे व विद्वान सहायक कलेक्टर (मु.) चूरू का निर्णय व डिक्री दिनांक 30-3-2002 बहल रखा जावे।

6- हमने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने एक दावा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू में दिनांक 15-5-1989 को प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी / वादिया का कथन है कि वह मृतक मालाराम की पुत्री है। चूंकि दावा अपीलार्थिया ने प्रस्तुत किया था इसलिये यह सिद्ध करने का भार अपीलार्थिया / वादियां का है कि वह मृतक मालाराम की पुत्री है। सम्पूर्ण प्रकरण इसी तथ्य पर निर्भर करता है। अपीलार्थिया का यह कथन कि विवादित भूमि उनके पूर्वज परसाराम के खातेदारी की भूमि थी लेकिन उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि भूमि परसाराम की खातेदारी की थी। ई.एक्स.-1 जमाबन्दी संवत 2042-45 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-392 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा पर रूड़ाराम, हनुमानाराम पिसरान परसाराम कौम माली साकिन कस्बा बिसाऊ तहसील झुंझुनू बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी में यह अंकन नामान्तरकरण संख्या-61 दिनांक 30-6-1977 द्वारा किया गया है। इस नामान्तरकरण में अंकित किया गया है कि **"मालाराम फौत हो गया जिसके कोई संतान नहीं है। मालाराम की पत्नि रूड़ाराम के चली गयी है। हिस्से मालाराम के हिस्से को दोनों भाईयों रूड़ाराम व हनुमानाराम में बांट्कर बहिस्सा बराबर इन्काल दर्ज किया जाये।"** इस प्रकार इस नामान्तरकरण संख्या-61 से विवादित आराजी खसरा नम्बर-392 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा रूड़ाराम, हनुमानाराम व मालाराम पि. परसाराम से रूड़ाराम व हनुमानाराम के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तरकरण संख्या-61 दिनांक 30-6-1977 को खोला गया जिसके विरूद्ध कोई अपील आदिनांक तक नहीं की गई है। इस प्रकार इस नामान्तरकरण के अनुसार मालाराम के कोई संतान नहीं थी। अपीलार्थिया ने 44 वर्ष बाद भी उस नामान्तरकरण के विरूद्ध अभी तक कोई अपील नहीं की है। अपीलार्थिया को ही सिद्ध करना है कि वह मालाराम की पुत्री है किन्तु अपीलार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे उसे मालाराम की पुत्री माना जा सके।

8- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, ने प्रत्येक दस्तावेज व साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थिया मालाराम की पुत्री नहीं है। इस अपील के माध्यम से अपीलार्थिया ने अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त निष्कर्ष को बदलने की आवश्यकता हो। जहां तक अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने

विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है, लेकिन वे यह बता नहीं पाये हैं कि उसमें क्या विधि विरूद्ध निर्णय था। सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना करने के उपरान्त ही निर्णय दिनांक 9-4-2003 पारित किया है। जिस मतदाता सूची का हवाला अपील में दिया गया है वह वर्ष 1993 की है जबकि दावा वर्ष 1989 में दर्ज करा दिया है। इसलिये उक्त मतदाता सूची में प्रविष्टियां **''जानबूझकर''** दर्ज करवाई गई प्रतीत होती है क्योंकि उस मतदाता सूची में तारा / मालाराम स्त्री 30 वर्ष अंकित है। यह मतदाता सूची इसलिये भी **''प्रायोजित''** नजर आती है कि जब 1989 में वादियां / अपीलार्थियां तारा ने वाद प्रस्तुत किया था, तब वह विवाहित थी और उसने अपने वाद पत्र में भी **''तारा पुत्री मालाराम पत्नी लेखराम''** लिखाया है। मतदाता सूची में विवाह के पूर्व पिता का नाम व विवाह के पश्चात पति के नाम का अंकन होता है। सन् 1993 की मतदाता सूची में तारा के नाम के साथ पति के नाम के बजाय पिता का नाम लिखा है जो इस संदेह को पुष्ट करता है कि यह मतदाता सूची विश्वसनीय नहीं है।

9- अपील में अंकित किये अन्य बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 9-4-2003 में विस्तृत विवेचना करते हुये अपने निष्कर्ष अंकित किये थे जो विधिसम्मत व तर्कसंगत होने के कारण पोषणीय हैं। ऐसी स्थिति में अपील में कोई ठोस सारभूत व महत्वपूर्ण तथ्य अंकित नहीं किये हैं इसलिये यह अपील निरस्तनीय है।

10- अतः हस्तगत् अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 9-4-2003 यथावात रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य